

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018—आश्विन 6, शक 1940

## भाग ४

### विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

क्र. एफ-05-40-2018-जस-चौबीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों/कैमरामेनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होने पर पत्रकार कल्याण कोष से सहायता राशि रुपये 25000/- से बढ़ाकर रुपये 50000/- की जाती है.

क्र. एफ-05-30-2018-जस-चौबीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उस पर आश्रित पत्नी और नाबलिंग बच्चों को आर्थिक सहायता देने की अधिकतम सीमा राशि को रुपये 01.00 लाख से बढ़ाकर रुपये 04.00 लाख की जाती है.

क्र. एफ-11-10-2018-जस-चौबीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों की योजना अनुसार रुपये 25 लाख तक के आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 05 वर्ष तक दिया जाएगा.

मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान देने की योजना के नियम संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. चौधरी, अपर सचिव.

परिशिष्ट—अ

क्र. एफ-11-10-2018-जस-चौबीस.—

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

## योजना

## मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान देने की योजना संबंधी प्रस्ताव

- इस योजना का नाम अधिमान्यता प्राप्त संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना होगा.
- योजना के अंतर्गत अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आर.बी.आई.) से अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं से लिये गये आवास ऋण पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा.
- पत्रकार स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लेने में ही इस योजना की पात्रता होगी. योजना मात्र एक आवास ऋण में ही लागू होगी.
- योजना में पात्रता के लिए स्वयं अथवा पत्नी, आश्रित पुत्र-पुत्री के नाम से कोई अन्य आवासीय भवन नहीं होना चाहिए. इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा.
- ब्याज अनुदान अधिकतम रुपये 25 लाख के ऋण की सीमा तक देय होगा.
- यह योजना 1 जनवरी 2018 से प्रभावशाली मानी जाएगी.
- शपथ-पत्र के साथ संचार प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण के प्रमाणित दस्तावेज जनसंपर्क संचालनालय में आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे.
- संचार प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का नियमित भुगतान स्वयं करना होगा. बैंकों को ऋण के मूल एवं ब्याज के नियमित भुगतान करने संबंधी बैंक का प्रमाण-पत्र जनसंपर्क संचालनालय में प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की गणना कर संबंधित पत्रकार के बैंक खातों में राशि दी जाएगी.

- ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक की जाएगी.

प्रथम बार ब्याज अनुदान स्वीकृति करने के लिए संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारियों की निम्न समिति विचार कर अनुशंसा करेगी.

i संचालक

ii अपर संचालक (पत्रकार कल्याण)

iii अपर संचालक (समाचार)

- संचार प्रतिनिधियों द्वारा नियमित ऋण एवं ब्याज अदायगी करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा. डिफाल्टर होने की स्थिति में योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी. यदि संचार प्रतिनिधि बैंक का ऋण चुकाने में असफल रहता है तो दिए गए ब्याज अनुदान की वसूली की जा सकेगी.
- योजना में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख रुपये ब्याज अनुदान के रूप में व्यय होगा.
- ब्याज अनुदान स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त/संचालक जनसंपर्क का होगा.

एच. एल. चौधरी, अपर सचिव.

**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2018

## सूचना

क्रमांक-एफ 3-98/2018/18-5 :: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार "मध्य प्रदेश राजपत्र" दिनांक 24.08.2018 में पूर्व में प्रकाशित किया गया। विचारोपरांत नियमों में निम्न संशोधन को अंतिम रूप दिया जाता है :-

## संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 103 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

**103. विकास योजना के उपबंधों को पूर्वोद्धरण बनाया जाना :-**

निवेश क्षेत्र में लागू मानदण्ड तथा विनियम ऐसे होंगे, जैसे कि सुसंगत विकास योजना में विहित है :

परन्तु यह कि यदि विकास योजना में दिए गए मानदण्ड तथा विनियम इन नियमों से भिन्न या विरोधाभासी हैं, तो संचालक परीक्षण करेंगे तथा अपना प्रस्ताव सरकार को प्रेषित करेंगे। इस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया विनिश्चय अंतिम होगा एवं विकास योजना का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2018

क्रमांक:-एफ-3/98/2018/18-5 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-एफ-3/98/2018/18-5 दिनांक 24/09/2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal Dated 24<sup>th</sup> September 2018

Notice

**No.F-3-98/2018/18-5 ::** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with Sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012 the same having been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 24-08-2018 as required by Sub-section (1) of section 85 of the said Act. After considering following amendments is Rules are finalized :-

### **AMENDMENT**

In the said rules, for rule 103, the following rule is substituted, namely :-

#### **103. Provisions of development plan to take precedence :-**

The norms and regulations applicable in the plan area shall be such as prescribed in the relevant development plan;

Provided that if the norms and regulation as provided in the development plan are different or contrary to these rules, the Director shall examine and send his proposal to the Government. The decision taken by the Government in this regard shall be final and shall be integrated part of Development plan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

**राजस्व विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक एफ-2-11/2018/सात/शा-6

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 258 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 174-6477-सात-एन-(नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 22 जनवरी, 1960 को प्रकाशित हुई थी तथा इस विषय पर पूर्व में बनाए गए समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जो पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**नियम**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रारंभ होने की तारीख से अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. किसी संभाग या जिले या उप-खण्ड की सीमाओं को परिवर्तित करने का या नवीन सृजन करने का अथवा किसी विद्यमान संभाग या जिले या उप-खण्ड को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव प्ररूप-एक में प्रकाशित कराया जाएगा और किसी तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करने या नवीन सृजन करने का या किसी विद्यमान तहसील को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव इन नियमों से संलग्न प्ररूप-दो में प्रकाशित किया जाएगा।

3. किसी नवीन तहसील के सृजन या किसी तहसील की सीमाओं के परिवर्तन की दशा में किसी ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र एक तहसील में रखा जाएगा।
4. सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में तथा किसी ऐसी रीति में जैसे कि सरकार उचित समझे, प्रकाशित की जाएगी।
5. सूचना की अवधि के अवसान के पश्चात् सूचनाओं के संबंध में प्राप्त आपत्तियां या सुझाव (यदि कोई हों) पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, तब राज्य सरकार नए संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील का सृजन करेगी अथवा विद्यमान संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील को समाप्त करेगी अथवा यथास्थिति विद्यमान संभाग जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करेगी।

**प्ररूप-एक**  
(नियम 2 देखिए)

अनुक्रमांक	प्रस्तावित संभाग/ जिला/उप-खण्ड	प्रस्तावित संभाग/ जिला/उप-खण्ड का मुख्यालय	प्रस्तावित संभाग/ जिला/उप-खण्ड की सीमाएं	परिवर्तन के प्रकार	वर्तमान संभाग/ जिला/उप-खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			उत्तर- पूर्व- दक्षिण- पश्चिम-		

प्रस्तावित परिवर्तनों हेतु कारण.....

.....

प्ररूप-दो  
(नियम 2 देखिए)

अनुक्रमांक	प्रस्तावित तहसील	प्रस्तावित तहसील का मुख्यालय	प्रस्तावित तहसील की सीमाएं	परिवर्तन के प्रकार (प्रस्तावित तहसील में ग्राम का नाम सम्मिलित करते हुए)	वर्तमान तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			उत्तर- दक्षिण- पूर्व- पश्चिम-		

प्रस्तावित परिवर्तनों हेतु कारण.....

.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ-2-11-2018-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग द्वारा बनाये गये नियम क्रमांक क्र. एफ-2-11-2018-सात-शा. 6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No.F-2-11/2018/VII/Se.6-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this department's Notification No.174-6477-VII-N (Rules) dated 6<sup>th</sup> January, 1960 published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 22<sup>nd</sup> January, 1960 and all rules previously made on the subject, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely :-

### **RULES**

1. Short title and commencement.-
  - (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-rajswa Sanhita (Sambhagaon, Jilon, Upkhandon Tatha Tahsilon Ke Pariwartan, Srijan Tatha Samapti) Niyam, 2018.
  - (2) They shall come into force from the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No. 13 of 2018) that is 25<sup>th</sup> September, 2018.
2. Any proposal to alter the limits of any division or district or sub-division or to create a new or abolish an existing division or district or sub-division shall be published in Form-I and any proposal to alter the limits of any tehsil or to create a new or abolish an existing tehsil shall be published in Form-II appended to these rules.
3. In case of creation of a new tehsil or alteration of the limits of any tehsil the whole area of a Gram Panchayat shall be kept in one tehsil.
4. The notice shall be published in the Madhya Pradesh Gazette and in such manner as the State Government may deem fit.



5. After expiry of the notice period, the objection or suggestion received (if any) in respect of notice shall be considered by the State Government then the State Government shall create new or abolish existing division or district or sub-division or tehsil or alter the limits of existing division or district or sub-division or tehsil, as the case may be.

**FORM- I**  
(see rule 2)

S. No.	Proposed division/district /sub-division	Headquarters of the proposed division/district/sub-division	Limits of the proposed division/district/sub-division	Nature of changes	Present division/district/sub-division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			North- East- South- West-		

Reasons for proposed changes

.....

.....

**FORM- II**  
(see rule 2)

S. No.	Proposed tahsil	Headquarter of the proposed tahsil	Limits of the proposed tahsil	Nature of changes (Name of Village included in the proposed tahsil))	Present tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			North- East- South- West-		

Reasons for proposed changes

.....

.....

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

क्रमांक एफ-2-10/2018/सात/शा-6

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 250 के साथ पठित धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (पैसठ-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग चार (ग) में दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2565-63-81-सात-एन-1 दिनांक 15 सितम्बर, 1981 तथा इस विषय पर पूर्व में बनाए गए समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जो पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

### नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-
  - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुनर्स्थापन) नियम, 2018 है।
  - (2) ये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रारंभ होने की तारीख से अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
  - (ख) "धारा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा।
3. यदि कोई व्यक्ति धारा 250 की उप-धारा (2) या (3) के अंतर्गत कब्जा वापस दे दिया जाने के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिन तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, तो तहसीलदार धारा 250 की उप-धारा (8) के अंतर्गत संबंधित उप-खंड अधिकारी को तदनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
4. तहसीलदार से नियम 3 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उप-खंड अधिकारी निर्दिष्ट व्यक्ति को उक्त नियम में, प्ररूप-एक में यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी करेगा

कि वह उसमें विनिर्दिष्ट किए गए दिन को उसके समक्ष उपसंजात हो और कारण दर्शाए कि भूमि पर यथास्थिति, अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली न करने के लिए सिविल कारागार में क्यों न परिरूद्ध किया जाए।

5. यदि ऐसा व्यक्ति, नियम 4 के अंतर्गत जारी की गई सूचना के अनुसरण में उसमें विनिर्दिष्ट दिन को उपसंजात नहीं होता है और निरन्तर अप्राधिकृत दखल या कब्जे में भी है तो उप-खंड अधिकारी धारा 250 के उपबंधों के अनुसार सिविल कारागार में परिरूद्ध किए जाने के लिए ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु प्ररूप-दो में, एक वारंट जारी करेगा।
6. जहां भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा रखने वाला व्यक्ति नियम 4 के अंतर्गत जारी की गई सूचना के आज्ञानुवर्तन में उपखंड अधिकारी के समक्ष उपसंजात होता है वहां उपखंड अधिकारी उसे कारण दर्शाने का एक अवसर देगा कि भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली करने में असफल होने पर उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।
7. नियम 6 के अंतर्गत जांच की समाप्ति पर उपखंड अधिकारी धारा 250 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, उस व्यक्ति को सिविल कारागार के सुपुर्द करने के आदेश दे सकेगा और यदि वह पहले ही गिरफ्तार न किया गया हो तो उस दशा में उसे गिरफ्तार करवाएगा।
8. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 55 के उपबंध, नियम 5 तथा 7 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
9. धारा 250 की उप-धारा (8) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत छोड़े जाने का आदेश प्ररूप-तीन में होगा।
10. किसी व्यक्ति को धारा 250 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सिविल कारागार में परिरूद्ध करने पर उपगत किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

प्ररूप -एक

[नियम 4 देखिए]

न्यायालय उप-खंड अधिकारी- .....जिला- .....

सूचना

प्रति,

श्री.....

निवासी.....ग्राम.....तहसील.....जिला.....

यतः, आप तहसील.....के तहसीलदार के आदेश क्रमांक..... दिनांक .....की अवज्ञा में, उक्त आदेश की तारीख के पश्चात् सतत् रूप में सात दिन से अधिक तक भूमि पर अप्राधिकृत रूप से दखल/कब्जा किए हुए हैं, अर्थात् :-

1. खसरा क्रमांक.....
2. क्षेत्रफल.....हैक्टर
3. ग्राम/शहरी क्षेत्र.....
4. पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....
5. तहसील.....

अतएव, आपसे एतद्वारा, यह अपेक्षा की जाती है कि आप तारीख .....20.....को इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात हो कर कारण दर्शाएं कि उक्त भूमि का अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली करने में असफल होने के लिए आपको सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

आज तारीख.....को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुद्रा

नाम.....

उप-खंड अधिकारी,  
.....उप-खंड

प्ररूप -दो

[नियम 5 देखिए]

न्यायालय उप-खंड अधिकारी- .....जिला- .....  
जेल सुपुर्द करने का वारंट

प्रति,

भारसाधक अधिकारी, जेल.....

यतः, श्री..... मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 की उप-धारा (2) और (3) के अंतर्गत..... तहसील के तहसीलदार----- द्वारा जारी किए गए आदेश के पश्चात् सात दिन से अधिक दिन तक निम्नलिखित भूमि पर निरंतर अप्राधिकृत दखल/कब्जा किए हुए हैं, अर्थात्: -

1. खसरा क्रमांक.....
2. क्षेत्रफल.....हैक्टर
3. ग्राम/नगरीय क्षेत्र.....
4. पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....
5. तहसील.....

और यतः, श्री.....को न्यायालय के समक्ष तारीख.....को उपसंजात होने के लिए सूचना क्रमांक.....तारीख..... के द्वारा कहा गया था,

और यतः, श्री.....उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिन इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने में असफल हुए हैं;

या

और यतः, न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के पश्चात् वे इस न्यायालय का इस बाबत समाधान नहीं कर सके हैं कि इस निमित्त उन्हें सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए;

अतएव, आपको एतद्वारा समादेश दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त.....को सिविल कारागार में लें और प्राप्त करें और उन्हें तारीख .....से.....तक.....दिन की कालावधि के लिए (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) वहां कारावासित रखें।

आज तारीख.....को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मुद्रा

नाम.....

उप-खंड अधिकारी,

.....उप-खंड

प्ररूप-तीन  
(नियम 9 देखिए)

न्यायालय उप-खंड अधिकारी .....जिला-.....

छोड़े जाने के लिए आदेश

प्रति,

भारसाधक अधिकारी, जेल .....

यतः .....(कारावासित का नाम तथा विवरण) इस न्यायालय  
में वॉरंट दिनांक.....माह.....20.....वर्ष के अंतर्गत आपकी अभिरक्षा के लिए  
सुपुर्द किया गया था;

आज पारित आदेशों के अंतर्गत आपको एतद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि  
आज.....को, जो इस समय आपकी अभिरक्षा में है, जब तक उसे किसी अन्य कारण से  
निरूद्ध करना आवश्यक न हो मुक्त कर दें।

तारीख.....

मुद्रा

नाम.....

उप-खंड अधिकारी,

.....उप-खंड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ-2-10-2018-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस  
विभाग द्वारा बनाये गये नियम क्रमांक क्र. एफ-2-10-2018-सात-शा. 6 दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद  
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No.F-2-10/2018/VII/Se.6-In exercise of the powers conferred by section 250 and clause (lxv-a) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this department's Notification No.2565-63-81-VII-N-1 dated 15<sup>th</sup> September, 1981 and all rules previously made on the subject, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely :-

### **RULES**

#### **1. Short title and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Anuchit Roop Se Bekabja Kiye Gaye Bhumiswami Ka Punarsthapan) Niyam, 2018.
- (2) They shall come into force from the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018) that is, 25<sup>th</sup> September, 2018.

#### **2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Form" means a form appended to these rules;
- (b) "section" means a section of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

3. If any person continues in unauthorised occupation or possession of land for more than seven days after the date of order for restoration of

- possession under sub-section (2) or (3) of section 250, the Tahsildar shall submit a report accordingly to the Sub-Divisional Officer concerned under sub-section (8) of section 250.
4. On receipt of the report from the Tahsildar under rule 3, the Sub-Divisional Officer shall issue a notice in Form I to the person referred to in the said rule calling upon him to appear before him on a day specified therein to show cause why he should not be confined in civil prison for failure to vacate the unauthorised occupation or possession of land, as the case may be.
  5. If such person fails to appear in pursuance of the notice issued under rule 4, on a day specified therein and also continues in unauthorised occupation or possession, the Sub-Divisional Officer shall issue a warrant in Form II, for the arrest of such person for confining in civil prison in accordance with the provisions of section 250.
  6. Where the person in unauthorised occupation or possession of land appears before the Sub-Divisional Officer in obedience to a notice issued under rule 4, the Sub-Divisional Officer shall give him an opportunity of showing cause why should he not be committed to civil prison for failure to vacate the unauthorised occupation or possession of the land.
  7. Upon the conclusion of the enquiry under rule 6 the Sub-Divisional Officer may, subject to the provisions of section 250, make an order for committal of the person to civil prison and shall in that event cause him to be arrested if he is not already under arrest.
  8. The provisions of section 55 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908) shall apply *mutatis mutandis* to arrest under rules 5 and 7.
  9. The order for release under the second proviso to sub-section (8) of section 250 shall be in Form III.



10. The expenditure incurred on the confinement of a person in civil prison under sub-section (8) of section 250 shall be borne by the State Government.

## FORM-I

[See rule 4]

In the Court of Sub-Divisional Officer.....District.....

## NOTICE

To,

Shri.....

Resident of.....Village.....Tahsil.....

District.....

Whereas, you have been in defiance of order No.....

dated.....of the Tahsildar.....Tahsil.....continuing  
in unauthorised occupation/possession of the land, namely:-

1. Khasra No.....
2. Area.....Hectares
3. Village/Urban area.....
4. Patwari Halka No/Sector No.....
5. Tahsil.....

for more than seven days after the date of the said order.

Now, therefore, you are hereby called upon to appear before this Court on the.....day of.....20.....to show cause why you should not be committed to civil prison for failure to vacate the unauthorised occupation or possession of the said land.

Given under my hand and the seal of the Court this day  
of.....20.....

Seal

Name.....

Sub-Divisional Officer,  
Sub-Division

## FORM-II

[See rule 5]

In the Court of Sub-Divisional Officer.....District.....

**Warrant of Committal of Jail**

To,

The Officer-in- charge of the Jail at.....

Whereas.....has been continuing in unauthorised occupation/possession of the following land, namely:-

1. Khasra No.....
2. Area.....Hectares
3. Village/Urban area.....
4. Patwari Halka No/Sector No.....
5. Tahsil.....

for more than seven days after the date of an order of Tahsildar.....Tahsil.....issued under sub-section (2) and (3) of section 250 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959;

And whereas,.....was called upon to appear before this court on.....vide notice No.....dated.....

And whereas, the said.....has failed to appear before this court on the days specified in the said notice;

OR

And whereas, after having appeared before the Court, has not satisfied this Court as to why he should not be committed to civil prison on this account;

Now, therefore, you are hereby commanded and required to take and receive the said.....into the civil prison and keep him imprisoned therein for a period of .....days, with effect from.....to.....(both days inclusive).

Given under my hand and the seal of the Court, this.....day of.....20.....

Seal

Name.....  
Sub-Divisional Officer,  
Sub-Division

## FORM-III

[See rule 9]

In the Court of Sub-Divisional Officer.....District.....

**Order for release**

To,

The officer-in-charge of the Jail at.....

WHEREAS.....(name and description of prisoner)

was committed to your custody under warrant of the Court, dated  
the.....day of.....20.....Under orders passed this day, you are hereby directed to set free  
.....now in your custody unless he is liable to be detained for  
some other cause.....

Date.....

Seal

Name.....  
Sub-Divisional Officer,  
Sub-DivisionBy order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 2-12/2018/सात/शा 6-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (तीन) एवं (चार) के साथ पठित धारा 59 एवं 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-1-2012-सात-सेक्शन-6 दिनांक 11 जुलाई, 2014 में मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-चार दिनांक 11 जुलाई, 2014 में प्रकाशित हुई थी तथा इस विषय पर पूर्व में बनाए गए समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

### नियम

### भाग-क

### सामान्य

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रभावशील होने के दिनांक से लागू होंगे, अर्थात् 25 सितम्बर 2018।

#### 2. परिभाषाएं,- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "संहिता" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
- (ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां;

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है, संहिता की धारा।

- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जिनका इन नियमों में प्रयोग हुआ है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो संहिता में समनुदेशित किए गए हैं।

### भाग—ख

#### निर्धारण और पुनर्निर्धारण

3. (1) भू-राजस्व का निर्धारण अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा।
- (2) उन भूमियों पर, जिन के संबंध में इन नियमों के लागू होने के पूर्व निर्धारण हो चुका है, का आगामी राजस्व वर्ष के प्रारंभ से, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट दरों पर भू-राजस्व स्वतः निर्धारण हो जाएगा।
- (3) उन भूमियों के संबंध में जिनका निर्धारण नियम 5 के अनुसार पहली बार निर्धारण किया गया है, की दिनांक से प्रभावशील होगा।
- (4) उन भूमियों के संबंध में जिनका इन नियमों के भाग-ग के अनुसार व्यपवर्तन किए जाने पर पुनर्निर्धारण किया जाता है, पुनर्निर्धारण व्यपवर्तन की दिनांक से प्रभावशील होगा।
- (5) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष आगामी राजस्व वर्ष के लिए अनुज्ञेय, भू-राजस्व निर्धारण की दरों को अनुसूची-एक में अधिसूचित करेगी:  
परंतु यदि इस उपनियम के अधीन अधिसूचना जारी नहीं की जाती तो आगामी राजस्व वर्ष के लिए तत्समय प्रभावी दरें लागू रहेंगी।
- (6) जब कभी अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट दरें परिवर्तित की जाती हैं तो भूमियों के भू-राजस्व की जो ऐसे परिवर्तन के पूर्व निर्धारित किए जा चुके हैं, ऐसी परिवर्तित दरों पर स्वतः आगामी राजस्व वर्ष से पुनर्निर्धारित हो जाएंगे।
- स्पष्टीकरण:—** (1) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समस्त ऐसी भूमियों के संबंध में कोई भू-राजस्व देय नहीं होगा जो संहिता की धारा 245 के

अधीन भू-राजस्व से मुक्त हैं या संहिता की धारा 58 या 58 क के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा मुक्त हैं।

(2) संहिता की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित खाते के संबंध में कोई सुधार धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कृषिक प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाएगा।

4. इन नियमों के लागू होने पर तथा जब कभी नियम 3 के उप-नियम (2) के अधीन भू-राजस्व के निर्धारण की दरें परिवर्तित की जाती हैं के पश्चात्,—
- (क) आयुक्त, भू-अभिलेख, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए, राज्य में अधिकार अभिलेख से भिन्न भू-अभिलेखों के अद्यतन किए जाने की संक्रियाओं का नियंत्रण करेगा;
- (ख) कलक्टर, आयुक्त भू-अभिलेख के अध्यक्षीन रहते हुए, जिले में अधिकार अभिलेख से भिन्न भू-अभिलेखों के अद्यतन किए जाने की संक्रियाओं का नियंत्रण करेगा; और
- (ग) तहसीलदार, कलक्टर के अध्यक्षीन रहते हुए, तहसील में अधिकार अभिलेख से भिन्न भू-अभिलेखों के अद्यतन किए जाने की संक्रियाओं का नियंत्रण करेगा।
5. भूमि जिन पर निर्धारण नहीं हुआ है और जो अधिभोग में है या किसी प्रयोजन के लिए दी जाना प्रस्तावित हैं, नियम 3 के अनुसार धारा 60 के अधीन, यथास्थिति जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा भू सर्वेक्षण के दौरान या कलक्टर द्वारा अन्य समय पर निर्धारण किया जाएगा।

### भाग-ग

#### भूमि उपयोग का व्यपवर्तन

6. नियम 7 से 19 में अंतर्विष्ट कोई भी बात, ऐसी भूमि पर जो संहिता की धारा 245 के अधीन प्रीमियम तथा भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त है या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 58 या 58-क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुसमर्थित है, सिवाये जब ऐसी भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जाती है, लागू नहीं होगी।
7. (1) जब कभी कोई भूमि धारा 59 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रयोजन के लिए निर्धारित है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जाती है, तो अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रीमियम देय होगा।

- (2) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष आगामी राजस्व वर्ष के लिए लागू होने वाली प्रीमियम की दरों को अनुसूची-दो में अधिसूचित करेगी:

परंतु यदि इस उपनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो आगामी राजस्व वर्ष के लिए तत्समय प्रभावी दरें लागू रहेंगी।

- (3) व्यपवर्तित भूमि पर नियम 3 के अनुसार भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

8. (1) जब किसी सर्वेक्षण संख्यांक का कोई भाग कृषिक प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन में व्यपवर्तित किया जाता है, और यदि ऐसे सर्वे संख्यांक का शेष भाग सौ वर्ग मीटर या उससे कम रह जाता है, तब सम्पूर्ण सर्वे संख्यांक को व्यपवर्तित किया गया समझा जाएगा और सर्वे संख्यांक के सम्पूर्ण क्षेत्र पर प्रीमियम तथा भू-राजस्व का निर्धारण देय होगा।

- (2) जब कोई भूमि, कृषिक से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन में व्यपवर्तित की जाती है तब आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही ऐसी व्यपवर्तित भूमि से लगी हुई समस्त भूमियां, ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित समझी जाएंगी और तदनुसार प्रीमियम तथा भू-राजस्व के लिए दायी होंगी।

**स्पष्टीकरण.**— इस नियम के प्रयोजन के लिए, व्यपवर्तित के संबंध में 'आनुषंगिक प्रयोजन' से अभिप्रेत है भूमि का सड़कों, पार्कों, खेल मैदानों, पार्किंग, अन्य सामुदायिक प्रयोजनों आदि में उपयोग किया जाना।

9. (1) भूमिस्वामी, जो अपने खाते या उसके भाग को धारा 59 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रयोजन से किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित करना चाहता है, प्रथमतः वह स्वयं को संतुष्ट करेगा कि भूमि उपयोग जिसके लिए वह अपने खाते या उसके भाग को व्यपवर्तित करना चाहता है, तत्समय प्रवृत्त संगत विधियों के प्रावधानों के अनुसरण में है।

- (2) इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुज्ञा दी गई है,—

(क) यदि ऐसी भूमि का उपयोग तत्समय प्रभावशील विधि के उपबंधों के प्रतिकूल है; या

(ख) संहिता की धारा 165 की उपधारा (6 ड़ड़) एवं उपधारा (7-ख) के उल्लंघन में है।

10. (1) यदि कोई भूमिस्वामी अपने खाते या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है, तो वह—

(क) नियम 7 के अनुसार देय प्रीमियम, यदि कोई हो, का गणना कर स्वयं निर्धारण करेगा; और

(ख) नियम 3 के अनुसार भू-राजस्व की गणना कर स्वयं निर्धारण करेगा।

(2) भूमिस्वामी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित रीति में एक वर्ष के लिए प्रीमियम और पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि जमा करेगा।

11. कोई भूमिस्वामी जो अपने खाते या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है तो वह ऐसे व्यपवर्तन की सूचना, भुगतान किए गए प्रीमियम और पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की रसीद की प्रति को संलग्न करते हुए उपखण्ड अधिकारी को प्ररूप-एक में देगा। भूमिस्वामी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित रीति में सूचना की अभिस्वीकृति देगा।

12. भूमिस्वामी आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार व्यपवर्तन स्कैच(अक्स) तैयार कराएगा और व्यपवर्तन की सूचना के साथ उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

13. (1) उपखण्ड अधिकारी नियम 11 के अधीन व्यपवर्तन की सूचना के प्राप्त होने पर, तीस दिवस के भीतर भूमिस्वामी द्वारा की गई गणना के सही होने की जांच करेगा और भूमिस्वामी को या तो ऐसी गणना की पुष्टि की संसूचना देगा या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित रीति अनुसार उसे देय प्रीमियम और भू-राजस्व की सही राशि की सूचना देगा।

(2) अधिकार अभिलेख से भिन्न, भू-अभिलेखों को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की गणना की उपनियम (1) के अधीन पुष्टि किए जाने या नियम 11 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा दी गई सूचना की तारीख से तीस दिवस के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, अद्यतन किया जाएगा:

परंतु यदि उपखण्ड अधिकारी भूमिस्वामी को अंतर की राशि, यदि कोई हो, जमा करने की सूचना देता है तो ऐसा भू-अभिलेख ऐसी राशि जमा करने के पश्चात् ही अद्यतन किया जाएगा।



14. (1) यदि नियम 10 के अधीन जमा की गई राशि, उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित की गई राशि से कम है, तब भूमिस्वामी द्वारा अंतर की राशि नियम 13 के अधीन संसूचना की प्राप्ति से साठ दिवस के भीतर जमा की जाएगी।
- (2) उन मामलों में जहां नियम 10 के अधीन जमा की गई राशि, उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित की गई राशि से अधिक है, वहां राज्य सरकार द्वारा निर्देशित रीति में साठ दिवस के भीतर भूमिस्वामी को अंतर की राशि लौटाई जाएगी।
15. यदि कोई भूमिस्वामी नियम 13 के अधीन संसूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर राशि जमा नहीं करता है, तो बकाया पर प्रथम बारह माह के लिए बारह प्रतिशत वार्षिक दर से और तत्पश्चात् पंद्रह प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान दिनांक तक साधारण ब्याज देय होगा।
16. (1) पटवारी या नगर सर्वेक्षक वर्ष में एक बार, अपनी अधिकारिता के भीतर समस्त सर्वेक्षण संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांकों का निरीक्षण करेगा और उस भूमि के व्यपवर्तन के प्रत्येक प्रकरण की रिपोर्ट जिसके व्यपवर्तन की सूचना भूमिस्वामी ने नहीं दी है या नियम 11 के अधीन असत्य सूचना दी है, प्ररूप-दो में उपखण्ड अधिकारी को देगा।
- (2) उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या उपनियम (1) के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, धारा 59 की उपधारा (9) के अधीन कार्यवाही करेगा और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, प्रीमियम और पुनर्निर्धारित भू-राजस्व, देय ब्याज तथा धारा 59 की उपधारा (9) के अधीन देय शास्ति का विनिश्चय करेगा और देय राशि को जमा करने के लिये भूमिस्वामी को मांग पत्र भेजेगा तथा व्यपवर्तन स्कैच(अक्स) तैयार कराएगा।
- (3) अधिकार अभिलेखों से भिन्न, भू-अभिलेख, उपनियम (2) के अधीन देय राशि के जमा करने के पश्चात् ही अद्यतन किए जाएंगे।
17. (1) इन नियमों के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, जब तक कि भूमिस्वामी द्वारा ऐसे आदेश के अधीन देय राशि के पचास प्रतिशत राशि के बराबर की राशि जमा नहीं कर दी जाती है।
- (2) अपीलीय अधिकारी न्यायहित में उपनियम (1) की अपेक्षाओं को माफ कर सकेगा।

- (3) यदि अपील में उपनियम (1) के अधीन जमा की गई राशि से कम राशि देय मानी जाती है तो अंतर की राशि लौटाई जाएगी।
18. जब कोई भूमि, तत्समय लागू किसी अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसरण में व्यपवर्तित और विकसित की जाती है और ऐसा क्षेत्र जो सामुदायिक उपयोग, जैसे सड़कें, पार्क आदि के लिए आरक्षित है, स्थानीय निकाय को अंतरित कर दी जाती है तो ऐसे क्षेत्र के लिए निर्धारित भू-राजस्व को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संहिता की धारा 58-क के अधीन मुक्त कर सकेगी।
19. (1) यदि भूमि एक से अधिक प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित की गई है और ऐसे प्रयोजनों का क्षेत्र व्यपवर्तन स्कैच में सीमांकित है तो प्रीमियम और निर्धारण की दरें ऐसे प्रयोजनों के अनुसार ऐसे संबंधित क्षेत्र के लिए लागू होंगी।
- (2) यदि भूमि एक से अधिक प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित की गई है और ऐसे प्रयोजनों का क्षेत्र व्यपवर्तन स्कैच में सीमांकित नहीं किया जा सकता है तो प्रीमियम और निर्धारण की ऐसे प्रयोजनों में से लागू उच्चतम दरें सम्पूर्ण व्यपवर्तित क्षेत्र पर लागू होंगी।

**अनुसूची-एक**  
**(नियम 3 एवं 5 देखिए)**  
**मू-राजस्व के निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण के लिए दरें**

निर्धारण की दरें प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष रूप में									
अनुक्रमांक	क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि	कृषिक प्रयोजन जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है	निवास गृहों के प्रयोजन के लिए	शैक्षणिक प्रयोजन	वाणिज्यिक प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजन जिसमें खान तथा खनिज भी सम्मिलित है	पूर्त प्रयोजन	अन्य प्रयोजन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	नगर पालिक निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन अधिसूचित विकास योजना क्षेत्र सम्मिलित करते हुए	विद्यमान निर्धारण	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	
2.	अनुक्रमांक 1 में उल्लेखित को छोड़कर अन्य समस्त नगर पालिक निगम विकास अधिसूचित योजना क्षेत्र सम्मिलित करते हुए	विद्यमान निर्धारण	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	
3.	समस्त नगर पालिकाएँ अधिसूचित विकास योजना क्षेत्र सम्मिलित करते हुए तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	विद्यमान निर्धारण	1.50	1.50	3.00	2.25	1.50	2.25	
4.	समस्त नगर परिषद अधिसूचित विकास योजना क्षेत्र सम्मिलित करते हुए	विद्यमान निर्धारण	1.00	1.00	2.00	1.50	1.00	1.50	
5.	समस्त ग्राम पंचायतों उन क्षेत्रों को छोड़कर जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में शामिल हैं। 1 से 4 को छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्र	विद्यमान निर्धारण	0.50	0.50	1.00	0.75	0.50	0.75	

- टीप-**
1. मू राजस्व की संगणना नियम 3 के अनुसार की जाएगी।
  2. पूर्त प्रयोजन से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा पूर्त प्रयोजन के रूप में अधिसूचित प्रयोजन।
  3. किसी भी मामले में संगणित राशि दस रुपये से कम होने पर दस रुपये के निकटतम से पूर्णांक की जाएगी।
  4. भुगतान का दायित्व संहिता की धारा 58, 58 क एवं 245 के अधीन विमुक्ति के अन्वयधीन होगा।





## सारणी-3

समस्त नगरपालिकाएँ अधिसूचित विकास योजना क्षेत्र सम्मिलित करते हुए तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण-

(दरें प्रति वर्ग मीटर रूपए में)

अनुक्रमांक	विद्यमान भूमि उपयोग	व्यपवर्तन के पश्चात् भूमि उपयोग (व्यपवर्तन के समय देय प्रीमियम के लिए दरें)						
		कृषिक प्रयोजन जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है	निवास गृहों के प्रयोजन के लिए	शैक्षणिक प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजन जिसमें (खान तथा खनिज) भी सम्मिलित है	पूर्त प्रयोजन	अन्य प्रयोजन	वणिज्यिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कृषिक प्रयोजन जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है	0	10	10	15	0	15	20
2	निवास गृहों के प्रयोजन	0	0	0	5	0	5	10
3	शैक्षणिक प्रयोजन	0	0	0	5	0	5	10
4	औद्योगिक प्रयोजन जिसमें (खान तथा खनिज) भी सम्मिलित है	0	0	0	0	0	0	5
5	पूर्त प्रयोजन	0	10	10	15	0	15	20
6	अन्य प्रयोजन	0	0	0	0	0	0	5
7	वणिज्यिक प्रयोजन	0	0	0	0	0	0	0

## सारणी-4

समस्त नगर परिषद क्षेत्र अधिसूचित विकास योजना क्षेत्र सम्मिलित करते हुए-

(दरें प्रति वर्ग मीटर रूप में)

अनुक्रमांक	विद्यमान भूमि उपयोग	व्यपवर्तन के परवात् भूमि उपयोग (व्यपवर्तन के समय देय प्रीमियम के लिए दरें)						
		कृषिक प्रयोजन जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है	निवास गृहों के प्रयोजन के लिए	शैक्षणिक प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजन जिसमें (खान तथा खनिज) भी सम्मिलित है	पूर्ण प्रयोजन	अन्य प्रयोजन	वणिज्यिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कृषिक प्रयोजन जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है	0	3	3	4.5	0	4.5	6
2	निवास गृहों के प्रयोजन के लिए	0	0	0	1.5	0	1.5	3
3	शैक्षणिक प्रयोजन	0	0	0	1.5	0	1.5	3
4	औद्योगिक प्रयोजन जिसमें खान तथा खनिज भी सम्मिलित है	0	0	0	0	0	0	1.5
5	पूर्ण प्रयोजन	0	3	3	4.5	0	4.5	6
6	अन्य प्रयोजन	0	0	0	0	0	0	1.5
7	वणिज्यिक प्रयोजन	0	0	0	0	0	0	0

सारणी-5

समस्त ग्राम पंचायत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सम्मिलित क्षेत्र --

(दरें प्रति वर्ग मीटर रूप में)

अनुक्रमांक	विद्यमान भूमि उपयोग	व्यपवर्तन के पश्चात् भूमि उपयोग (व्यपवर्तन के समय देय प्रीमियम के लिए दरें)						
		कृषिक प्रयोजन जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है	निवास गृहों के प्रयोजन के लिए	शैक्षणिक प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजन जिसमें (खान तथा खनिज) भी सम्मिलित है	पूर्ण प्रयोजन	अन्य प्रयोजन	वणिज्यिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कृषिक प्रयोजन जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है	0	1.5	1.5	2.25	0	2.25	3
2	निवास गृहों के प्रयोजन के लिए	0	0	0	0.75	0	0.75	1.5
3	शैक्षणिक प्रयोजन	0	0	0	0.75	0	0.75	1.5
4	औद्योगिक प्रयोजन जिसमें (खान तथा खनिज) भी सम्मिलित है	0	0	0	0	0	0	0.75
5	पूर्ण प्रयोजन	0	1.5	1.5	2.25	0	2.25	3
6	अन्य प्रयोजन	0	0	0	0	0	0	0.75
7	वणिज्यिक प्रयोजन	0	0	0	0	0	0	0

- टीप-
1. प्रीमियम की संगणना नियम 7 के अनुसार की जाएगी।
  2. पूर्ण प्रयोजन से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा पूर्ण प्रयोजन के रूप में अधिसूचित प्रयोजन।
  3. किसी भी मामले में संगणित राशि दस रुपये से कम होने पर दस रुपये के निकटतम से पूर्णांक की जाएगी
  4. मुग्तान का दायित्व संहिता की धारा 58, 58 क एवं 245 के अधीन विमुक्ति के अधधीन होगा।



प्ररूप-एक  
(नियम 11 देखिए)  
**भूमिस्वामी द्वारा भूमि उपयोग के व्यपवर्तन तथा स्वनिर्धारण की सूचना**

संदर्भ क्रमांक.....

प्रति,

उपखण्ड अधिकारी

तहसील.....जिला.....

विषय:- व्यपवर्तन तथा प्रीमियम एवं भू-राजस्व के स्वनिर्धारण की सूचना

## भाग-एक

अनुक्रमांक (1)	विवरण (2)	ब्यौरे (3)
1	आवेदक का नाम	
2	पिता/पति/अभिभावक का नाम	
3	(एक) पता.....  (दो) दूरभाष क्रमांक (यदि कोई है) (क) लैंड लाईन (कार्या.) (ख) लैंड लाईन (आवा.) (ग) मोबाईल नं.  (तीन) ई-मेल आई डी (यदि कोई है)  (चार) पहचान के प्रमाण के लिये दस्तावेज  (पांच) पता के प्रमाण के लिये दस्तावेज	(क)  (ख)  (ग)  (घ)  (ङ)
4	यदि आवेदक भूमिस्वामी नहीं है- (एक) भूमिस्वामी का आवेदक से संबंध  (दो) प्राधिकार के विवरण (क) प्राधिकार पत्र/भूमिस्वामी का पॉवर ऑफ अटॉर्नी (ख) विधिक व्यक्ति के मामले में सक्षम स्तर से प्राधिकार/पॉवर ऑफ अटॉर्नी के साथ प्राधिकार/प्राधिकार पत्र	(क).....  (ख).....
5	शामिल खाते में धारित भूमि के मामले में, यदि सभी भूमिस्वामी संयुक्त रूप से सूचना प्रस्तुत नहीं करते है- (एक) उपखण्ड अधिकारी को आवेदक भूमिस्वामी को प्राधिकृत करने के संबंध में समस्त भूमिस्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकृत पत्र (दो) यदि केवल कुछ भागीदार भूमिस्वामी द्वारा व्यपवर्तन किया जाता है तो व्यपवर्तित भूमि के बारे में भागीदार भूमिस्वामियों के हिस्सों के संबंध में घोषणा	(क).....  (ख).....
6	भूमिस्वामी का नाम	
7	(एक) पिता/पति/अभिभावक का नाम (यदि भूमिस्वामी एकल व्यक्ति है)	(क).....

	(दो) विधिक व्यक्ति के मामले में पंजीयन क्रमांक/पेन नं.	(ख).....																																																																					
8	(एक) पता.....  (दो) दूरभाष क्रमांक (यदि कोई है) (क) लैंड लाईन (कार्या.) (ख) लैंड लाईन (आवा.) (ग) मोबाईल नं.  (तीन) ई-मेल आई डी (यदि कोई है)  (चार) पहचान के प्रमाण के लिये दस्तावेज  (पांच) पता के प्रमाण के लिये दस्तावेज	(क)  (ख)  (ग)  (घ)  (ङ.)																																																																					
9	भूमि के विवरण (एक) जिला (दो) तहसील (तीन) ग्राम/नगरीय निकाय (चार) पटवारी हल्का कं./सेक्टर कं.	(क)  (ख)  (ग)  (घ)																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सर्वेक्षण संख्यांक</th> <th colspan="2">वर्तमान स्थिति</th> <th colspan="2">व्यपवर्तित की स्थिति</th> <th colspan="5">व्यपवर्तित भूमि के जमा की गई राशि (रूपये में)</th> </tr> <tr> <th>व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन</th> <th>क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)</th> <th>व्यपवर्तित प्रयोजन</th> <th>क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)</th> <th>प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)</th> <th>कुल प्रीमियम (रूपये) (5 × 6)</th> <th>भू- राजस्व प्रति वर्ग मीटर/यार्ड</th> <th>कुल भू राजस्व (रूपये में) (5 × 8)</th> <th>कुल योग (7 × 10)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(5)</td> <td>(6)</td> <td>(7)</td> <td>(8)</td> <td>(9)</td> <td>(10)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>कुल योग</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	सर्वेक्षण संख्यांक	वर्तमान स्थिति		व्यपवर्तित की स्थिति		व्यपवर्तित भूमि के जमा की गई राशि (रूपये में)					व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये) (5 × 6)	भू- राजस्व प्रति वर्ग मीटर/यार्ड	कुल भू राजस्व (रूपये में) (5 × 8)	कुल योग (7 × 10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																				कुल योग					
सर्वेक्षण संख्यांक	वर्तमान स्थिति		व्यपवर्तित की स्थिति		व्यपवर्तित भूमि के जमा की गई राशि (रूपये में)																																																																		
	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये) (5 × 6)	भू- राजस्व प्रति वर्ग मीटर/यार्ड	कुल भू राजस्व (रूपये में) (5 × 8)	कुल योग (7 × 10)																																																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																																														
					कुल योग																																																																		
10	जमा की जाने वाली कुल राशि (शब्दों में)																																																																						
11	किए गए भुगतान के विवरण (एक) चालान पहचान क्रमांक (दो) पाने वाले का नाम (तीन) भुगतान की दिनांक (चार) भुगतान का शीर्ष जिसमें जमा किया गया (पांच) कुल जमा राशि (अंकों तथा शब्दों में)	(क) (ख) (ग) (घ) (ङ.)																																																																					
12	व्यपवर्तित भूमि का नियत स्केल पर व्यपवर्तन स्कैच, अलग-अलग प्रयोजनों के मामले में पृथक-पृथक दर्शाते हुए	प्रस्तुत/प्रस्तुत नहीं																																																																					

स्थान.....  
दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर  
नाम \_\_\_\_\_

**घोषणा**

1. मैं.....आत्मज.....एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचना में दिये गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं।
2. मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जिस भूमि उपयोग के लिये भूमि का व्यपवर्तन किया है वह मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 तथा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के प्रावधानानुसार है।
3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि भूमि व्यपवर्तन की सूचना भूमि उपयोग को नियंत्रित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा (6इड़) एवं उपधारा (7-ख) के उल्लंघन में नहीं है।
4. मैंने उक्त नियमों की अनुसूची एक के अनुसार प्रीमियम और अनुसूची दो के अनुसार भू राजस्व संगणित और जमा किया है तथा जानता हूँ कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त यह राशि वापिस नहीं होगी।
5. मैं यह भी स्वीकार करता हूँ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित राशि मेरे द्वारा जमा की गई प्रीमियम और/या भू-राजस्व की राशि यदि कम पाई जाती है तो अंतर की राशि मेरे द्वारा जमा की जाएगी।
6. मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे द्वारा भूमि उपयोग के प्रयोजन और व्यपवर्तित भूमि के क्षेत्रफल से संबंधित प्रस्तुत की गई सूचना के विवरण असत्य पाए जाते हैं तो यह मानते हुए की मैंने भूमि व्यपवर्तन की कोई पूर्व सूचना नहीं दी है, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वारा संगणित एवं विनिश्चित किये गये प्रीमियम तथा भू राजस्व और जुर्माना को सम्मिलित करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान.....

नाम.....

दिनांक.....

**आवश्यक संलग्नक**

1. पहचान के प्रमाण के लिये दस्तावेज की प्रति
2. पता के प्रमाण के लिये दस्तावेज की प्रति
3. चालू वर्ष के खसरा की प्रति
4. व्यपवर्तन स्कैच
5. प्रीमियम और पुनर्निर्धारित भू राजस्व के भुगतान के रसीद की प्रति
6. विधिक व्यक्ति के मामले में, ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्यवाही करने के लिये सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र

टीप:- (1) पहचान के प्रमाण के लिये स्व-प्रमाणित आधार नम्बर, वोटर आई.डी, पास पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या जारी किया गया फोटो सहित पहचान पत्र की प्रति।

(2) नगरीय स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है केवल अनुसूची क में वर्गीकृत नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर परिषद।

(3) भूमि उपयोग के प्रयोजन (क) कृषिक प्रयोजन (ख) निवासार्थ आवासीय प्रयोजन (ग) शैक्षणिक प्रयोजन (घ) वाणिज्यिक प्रयोजन (ङ) औद्योगिक प्रयोजन (खान एवं खनिज सम्मिलित करते हुए) (च) पूर्ण प्रयोजन (छ) अन्य प्रयोजन।

भाग-दोपावती

प्रति,

श्री/श्रीमति कुमारी.....

पुत्र/पुत्री.....

निवास स्थान.....

भाग एक में दी गई भूमि के व्यपवर्तन की उक्त सूचना, एतद्वारा, प्राप्त की है।

2. यह पावती उक्त प्ररूप एक में मद 11 में दर्शाई गई जमा राशि की रसीद के साथ भूमि के व्यपवर्तन का प्रमाण होगी।
3. पावती में कोई भी बात तय होते ही भूमिस्वामी मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) तथा उसके अंतर्गत बनाये मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के समस्त प्रावधानों के पालन के लिये दायित्वाधीन होगा।

स्थान:  
दिनांक:

सील

(नाम).....  
उपखण्ड अधिकारी  
.....  
जिला.....

**प्ररूप दो**  
(नियम 16 देखें)  
भूमि के व्यपवर्तन की रिपोर्ट

प्रति,

उपखण्ड अधिकारी

तहसील.....जिला.....

1. यह तथ्य ध्यान में आए है कि नीचे दिये गये विवरण की भूमि मौके पर व्यपवर्तित की गई है किन्तु भूमि के भूमिस्वामी द्वारा—  
(क) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के नियम 10 के अधीन व्यपवर्तन की सूचना नहीं दी गई है;  
(ख) व्यपवर्तन की दी गई सूचना सही नहीं है;  
(ग) सूचना दी गई किन्तु उपखण्ड अधिकारी से नियम 12 के अधीन अपेक्षित संसूचना प्राप्त नहीं हुई है;  
(घ) नियम 12 के अधीन संसूचना प्राप्त हुई है किन्तु नियम 13 के उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित अंतर की राशि जमा नहीं की गई है;  
(ङ) नियम 13 के उपनियम (1) के अधीन अंतर की राशि जमा की गई है या कोई राशि जमा की जाना अपेक्षित नहीं है किन्तु नियम 16 के अधीन अपेक्षित भू अभिलेखों में अद्यतनीकरण के लिये अपेक्षित आदेश नहीं हुए है।  
(नीचे टीप 1 देखें)

2. व्यपवर्तित भूमि, प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू राजस्व के निर्धारण नीचे दिये जा रहे है:-

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमियों के लिये	नगरीय क्षेत्रों में स्थित भूमियों के लिये
पटवारी हल्का क्रमांक .....	नगरीय क्षेत्र का नाम.....
ग्राम का नाम.....	सेक्टर क्रमांक.....
तहसील.....जिला.....	तहसील.....जिला.....

स. क.	विवरण	नियम 10 अधीन भूमिस्वामीयों द्वारा सूचनाओं के अनुसार (नीचे टीप 2 देखें)	स्थल पर जैसा पाया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सर्वे संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/प्लॉट संख्यांक (नीचे टीप 3 देखें)		
2.	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)		
3.	प्रयोजन भूमि वर्तमान में जिसके निर्धारण है (नीचे टीप 4 देखें)		
4.	व्यपवर्तित भूमि (वर्ग मीटर में)		
5.	प्रयोजन भूमि जिस उपयोग लिये व्यपवर्तित की जा रही है (नीचे टीप 4 देखें)		
6.	नियम 7 के उपनियम (1) एवं (2) के अनुसार प्रीमियम के लिये लागू दर		
7.	देय प्रीमियम की राशि		
8.	नियम 4 के उपनियम (1) एवं (3) के अनुसार पुनर्निर्धारित भू राजस्व के लिये लागू दर		
9.	देय पुनर्निर्धारित भू राजस्व की राशि		

3. उक्त भूमियों के भूमिस्वामी के विवरण निम्नानुसार है:-

नम..... पिता/पति का नाम.....
पूरा पता.....
.....

4. क्या भूमिस्वामी द्वारा नियम 10 के अधीन व्यपवर्तन की सूचना दी गई है ? हाँ/नहीं  
यदि हाँ, तो नीचे के विवरण की पूर्तियां करें

स.क.	विवरण	
(एक)	नियम 10 के अधीन भूमिस्वामी के द्वारा दी गई सूचना की पावती का क्रमांक एवं दिनांक	..... .....
(दो)	प्रीमियम और भू राजस्व के मद्दे जमा राशि	
(तीन)	क्या नियम 12 के अधीन उपखण्ड अधिकारियों द्वारा संसूचना जारी की गई है ? यदि हाँ, तो उसकी क्रमांक तथा दिनांक दें।	हाँ/नहीं ..... .....
(चार)	नियम 13 के उपनियम (1) के अधीन भूमिस्वामी द्वारा जमा किये जाने के लिये अपेक्षित अंतर की राशि, यदि कोई है (क) प्रीमियम (ख) भू राजस्व (ग) कुल योग	..... ..... .....
(पांच)	क्या भूमिस्वामी द्वारा उक्त मद (चार) में दर्शाई गई राशि जमा की जा चुकी है ? यदि हाँ, कृपया भुगतान की रसीद के क्रमांक एवं दिनांक दें।	हाँ/नहीं ..... .....
(छह)	क्या नियम 16 के अधीन भू अभिलेख अद्यतन करने के आदेश दिये जा चुके हैं ?	हाँ/नहीं

स्थान.....

दिनांक.....

संलग्नक-

पटवारी/नगर सर्वेक्षक के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पटवारी हल्का/सेक्टर क्रमांक.....

तहसील.....जिला.....

(1) खसरा की प्रति

(2) व्यपवर्तन स्कैच

टीप—

1. कृपया विकल्प (क) से (ड़) में से एक, जो लागू हो, चिन्हित करें।
2. नियम 10 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा लिखित सूचना के अनुसार कॉलम (3) भरा जाएगा, यदि कोई है।
3. अत्यधिक सर्वे संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू खण्ड संख्यांक होने की दशा में, पृथक पत्रक संलग्न करें।
4. नीचे दी गई सूची में से प्रयोजन चुने—

(क) कृषिक प्रयोजन

(ख) निवासार्थ गृह के लिये प्रयोजन

(ग) शैक्षणिक प्रयोजन

(घ) वाणिज्यिक प्रयोजन

(ड़) औद्योगिक प्रयोजन (खान एवं खनिज को सम्मिलित करते हुए)

(च) पूर्त प्रयोजन

(छ) अन्य प्रयोजन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ-2-12-2018-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग द्वारा बनाये गये नियम क्रमांक क्र. एफ-2-12-2018-सात-शा. 6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28<sup>th</sup> September 2018

No.F-2-12/2018/VII/Se.6 In exercise of the powers conferred by clause (iii) and (iv) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with section 59 and 60 and in supersession of this department's Notification No.F-2-1-2012-VII-Sec-6 dated 11<sup>th</sup> July, 2014 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-IV dated 11<sup>th</sup> July, 2014 and all rules previously made on the subject, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely :-

**RULES**  
**PART-A**  
**GENERAL**

**1. Short title and commencement,-**

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Rajasva Ka Nirdharan Tatha Punarnirdharan) Niyam, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018), that is 25<sup>th</sup> September, 2018.

**2. Definitions,-**

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-



- (a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
  - (b) "Form" means a Form appended to these rules;
  - (c) "Schedule" means Schedules appended to these rules;
  - (d) "Section" means the section of the Code.
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined in these rules, and defined in the Code, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Code.

### PART-B

#### ASSESSMENT AND RE-ASSESSMENT

3. (1) The assessment of land revenue shall be made at the rates specified in Schedule I.
- (2) In respect of land which has been assessed prior to the commencement of these rules, the land revenue shall stand automatically re-assessed at the rates specified in Schedule-I from the revenue year following such commencement.
- (3) In respect of land which is assessed for the first time as per rule 5 the assessment shall be effective from the date of assessment.
- (4) In respect of land which is re-assessed on diversion as per Part-C of these rules the re-assessment shall be effective from the date of diversion.
- (5) Every year the State Government shall notify in Schedule-I the rates of assessment of land revenue applicable for the following revenue year:

Provided that if no notification is issued under this sub-rule then the prevailing rates shall continue for the following revenue year.

- (6) Whenever the rates specified in Schedule-I are changed, the land revenue of the lands, which have been assessed prior to such

change shall stand automatically re-assessed at such changed rates from the following revenue year.

**Explanation—**

- (1) Notwithstanding anything contained in this rule, no land revenue shall be payable in respect of all such lands which are exempted from payment of land revenue under section 245 of the Code or exempted by the State Government by notification under sections 58 or 58-A of the Code.
- (2) Any 'improvement' with reference to a holding as defined in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Code shall be assessed for the purpose of agriculture under clause (a) of sub-section (1) of section 59.
4. On commencement of these rules and subsequently any change is made in the rates of assessment of land revenue under sub rule (2) of rule 3,—
  - (a) the Commissioner, Land Records shall, subject to the control of the State Government, control the operations of updating of land records other than record of rights in the State;
  - (b) the Collector shall subject to the control of the Commissioner Land Records, control the operations of updating of land records other than record of rights in the district; and
  - (c) the Tahsildar shall, subject to the control of the Collector, carry out the updating of land records other than record of rights in the Tahsil.
5. Land on which the assessment has not been made and which has been occupied or is proposed to be given out for any purpose, shall be assessed under section 60, as per rule 3, by the District Survey Officer during land survey or by the Collector in other cases, as the case may be.

**PART-C**

**DIVERSION OF LAND**

6. Nothing contained in rules 7 to 19 shall apply in respect of such land which is exempted from payment of premium or land revenue under

section 245 or is ratified by the State Government under Sections 58 or 58-A except when such land is diverted to another purpose which is not so exempted.

7. (1) Whenever any land, which is assessed for any one purpose specified in sub-section (1) of section 59, is diverted to another purpose, a premium shall be payable at the rates specified in Schedule-II.
- (2) Every year, the State Government shall notify in Schedule-II the rates of premium applicable for the following revenue year:

Provided that if no notification is issued under this sub-rule then the prevailing rates shall continue for the following revenue year.

- (3) The land revenue on the diverted land shall be re-assessed as per rule 3.
8. (1) When any part area of a survey number is diverted from agricultural purpose to another purpose and if the area left out of such survey number is equal to or less than one hundred square meters, the entire survey number shall be deemed to have been diverted and the premium and assessment of land revenue shall be payable on the whole area of survey number.
  - (2) When a land is diverted from agricultural to another purpose then all adjoining land being used for ancillary purposes, shall be deemed to have been diverted for such another purpose and shall be subject to premium and land revenue accordingly.

**Explanation.-** For the purpose of this rule, 'ancillary purposes' in respect of the diverted means the use of land for roads, parks, play grounds, parking, utilities, etc.

9. (1) A Bhumiswami, who wishes to divert his holding or part thereof from one purpose specified in sub-section (1) of section 59 to another purpose, shall first satisfy himself that the land use for which he wants to divert his holding or part thereof, is in compliance with the provisions of the relevant laws for the time being in force.
- (2) Nothing in these rules shall be construed as granting the permission to change the use of land,—
- (a) contrary to any law for the time being in force governing the use of such land; or
- (b) in contravention of sub-section (6-ee) and section (7-b) of Section 165 of the Code.
10. (1) If a Bhumiswami diverts his holding or part thereof, he shall—
- (a) calculate and make a self assessment of the premium payable as per rule 7, if any; and
- (b) calculate and make a self assessment of the land revenue as per rule 3.
- (2) The Bhumiswami shall deposit the amount of premium and re-assessed land revenue for one year in the manner directed by the State Government.
11. A Bhumiswami who diverts his holding or part thereof shall intimate about such diversion to the Sub-Divisional Officer in Form-I along with a copy of the receipt of payment of premium and re-assessed land revenue. The Bhumiswami shall be provided acknowledgement in the manner directed by the State Government.
12. The Bhumiswami shall cause a diversion sketch to be prepared in accordance with the directions issued by the Commissioner, Land Records from time to time and submit it to the Sub-Divisional Officer along with the intimation of diversion.

13. (1) On the receipt of intimation of diversion under rule 11, the Sub-Divisional Officer shall, within thirty days, check the correctness of the computation made by the Bhumiswami and communicate to the Bhumiswami either confirming such computation or informing him the correct amount of premium and land revenue payable in the manner directed by the State Government.
- (2) The land records, other than record of rights shall be updated after the Sub-Divisional Officer has confirmed the computation of premium and re-assessed land revenue under sub-rule (1) or after thirty days of the date of intimation given by the Bhumiswami under rule 11, whichever is earlier:

Provided that if the Sub-Divisional Officer has communicated to the Bhumiswami to deposit difference of amount, if any, such land records shall be updated only after deposit of such difference of amount.

14. (1) If the amount deposited under rule 10, is less than the amount computed by the Sub-Divisional Officer, the difference shall be paid by the Bhumiswami within sixty days of receipt of communication under rule 13.
- (2) In those cases where the amount deposited under rule 10, is greater than the amount computed by the Sub-Divisional Officer, the difference shall be refunded to the Bhumiswami within sixty days, in the manner as directed by the State Government.
15. If the Bhumiswami fails to deposit the amount within a period of sixty days from the date of receipt of communication under rule 13, simple interest shall be payable on the arrear till the date of payment at the rate of twelve per centum per annum for first twelve months and thereafter at the rate of fifteen per centum per annum.

16. (1) The Patwari or the Nagar Sarvekshak shall, at least once in a year, inspect all survey numbers and plot numbers within their jurisdiction and shall submit a report in Form-II to the Sub-Divisional Officer for every case of diversion of land in which the Bhumiswami has failed to give the intimation of diversion or has given incorrect intimation under rule 11.
- (2) The Sub-Divisional Officer shall, on his own motion or on the report under sub-rule (1), proceed under sub-section (9) of section 59 and after making such enquiry, as he may deem fit, determine the premium, re-assessed land revenue, penalty payable under sub-section (9) of section 59 and interest payable thereto and issue a demand notice to the Bhumiswami for depositing the amount payable and cause to be prepared a diversion sketch.
- (3) The land records other than record of rights, shall be updated only after the deposit of the amount payable under sub-rule (2).
17. (1) No appeal shall lie against any order of the Sub-Divisional Officer passed under these rules unless fifty per centum of the amount payable by a Bhumiswami under such order is deposited.
- (2) The appellate authority may condone the requirements of sub-rule (1), in the interest of justice.
- (3) If in appeal the amount determined to be payable is less than the amount deposited under sub-rule (1), the difference shall be refunded.
18. When any land is diverted and developed in accordance with the provisions of any act or rules applicable for the time being and such area which is reserved for common utilities such as roads, parks, etc. is transferred to the local body, the land revenue assessed for such area may be exempted by the State Government by notification under section 58 -A of the Code.

19. (1) If land is diverted for more than one purpose and area of such purposes are demarcated in the diversion sketch, rates of premium and assessment corresponding to such purposes shall be applicable on such respective areas.
- (2) If land is diverted for more than one purposes and areas of such purposes cannot be demarcated in the diversion sketch, highest rates of premium and assessment among such purposes shall be applicable for total area diverted.

**SCHEDULE - I**  
(see rule 3 and 5)  
**Rates for Assessment and Re-assessment of Land Revenue**

Rates of assessment in rupees per square meter per annum								
S.No.	Land situated within the area	Agricultural purpose including any improvement thereon	Purpose for dwelling houses	Educational purpose	Commercial purpose	Industrial purpose (including mines and minerals)	Charitable purpose	Other purposes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Municipal Corporation of Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Ujjain including notified development plan area	Existing assessment	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00
2.	All Municipal Corporations other than those mentioned in Serial Number 1 including notified development plan area of these Corporations	Existing assessment	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00
3.	All Municipal Councils including notified development plan area and Special Area Development Authorities	Existing assessment	1.50	1.50	3.00	2.25	1.50	2.25
4.	All Nagar Parishads including notified development plan area	Existing assessment	1.00	1.00	2.00	1.50	1.00	1.50
5.	All Gram Panchayats other than those included in the area of Special Area Development Authorities	Existing assessment	0.50	0.50	1.00	0.75	0.50	0.75

- Notes- 1. The computation of land revenue shall be made as per rule 3.  
 2. Charitable purpose means the purpose notified as a charitable purpose by the State Government.  
 3. The amount calculated shall not be less than ten rupees in any case and be rounded off to the nearest multiple of ten rupees.  
 4. Liability of payment shall be subject to the exemption under section 58, 58-A and 245 of the Code.







Table -3  
All Municipal Councils including notified development plan area and Special Area Development Authorizes-  
(Rates in rupees per. square meter)

S.No.	Existing land use	Land use after diversion (rates for premium payable at the time of diversion)						
		Agricultural purpose including any improvement thereon	Purpose for dwelling houses	Educational purpose	Industrial purpose including (mines and minerals)	Charitable purpose	Other purpose	Commercial purpose
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Agricultural purpose including any improvement thereon	0	10	10	15	0	15	20
2.	Purpose for dwelling houses	0	0	0	5	0	5	10
3.	Educational purpose	0	0	0	5	0	5	10
4.	Industrial purpose (including mines and minerals)	0	0	0	0	0	0	5
5.	Charitable purpose	0	10	10	15	0	15	20
6.	Other purpose	0	0	0	0	0	0	5
7.	Commercial purpose	0	0	0	0	0	0	0



Table-5  
All Gram Panchayats other than those included in the area of Special Area Development Authorities-  
Land use after diversion

S.No.	Existing land use	(Rates for premium payable at the time of diversion)								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Agricultural purpose including any improvement thereon	Purpose for dwelling houses	Educational purpose	Industrial purpose including (mines and minerals)	Charitable purpose	Other purpose	Commercial purpose		
1.	Agricultural purpose including any improvement thereon	0	1.5	1.5	2.25	0	2.25	3		
2.	Purpose for dwelling houses	0	0	0	0.75	0	0.75	1.5		
3.	Educational purpose	0	0	0	0.75	0	0.75	1.5		
4.	Industrial purpose (including mines and minerals)	0	0	0	0	0	0	0.75		

5.	Charitable purpose	0	1.5	1.5	2.25	0	2.25	3
6.	Other purpose	0	0	0	0	0	0	0.75
7.	Commercial purpose	0	0	0	0	0	0	0

Notes- 1. The computation of premium shall be made as per rule 7.

2. Charitable purpose means the purpose notified as a charitable purpose by the State Government.

3. The amount calculated shall not be less than ten rupees in any case and be rounded off to the nearest multiple of ten rupees.

4. Liability of payment shall be subject to the exemption under Section 58, 58-A and 245 of the Code.

**FORM-I**

[see rule 11]

**Intimation of Diversion of Land Use and Self-assessment by Bhumiswami**

[Under The Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Rajasva Ka Nirdharan  
Tatha Punarnirdharan) Niyam, 2018]

Reference No.....

To,

The Sub-Divisional Officer

.....

Tahsil.....Distt.....

**Subject:-**Intimation of diversion and self-assessment of premium and land revenue.**PART -I**

S.No	Particulars	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Name of applicant (s)	
2.	Father/Husband/Guardian's Name	
3.	(a) Address (b) Telephone Number (if any) (a) Land Line (office) (b) Land Line (residence) (c) Mobile number (c) Email ID (if any) (d) Document for proof of Identification (e) Document for proof of address	(a) ..... ..... (b) ..... ..... (c) ..... (d) ..... (e) .....
4.	If the applicant is not the bhumiswami (a) Relationship of the applicant to the bhumiswami (b) Authorization details (a) Letter of authorization/Power of Attorney by the bhumiswami (s) (b) In the case of a "juristic person" authorization by Competent	(a) ..... ..... (b) ..... .....

	Forum/Authority with Power of Attorney/Letter of Authorization	
(1)	(2)	(3)
5.	<p>In case of land held in co-ownership, if all the bhumiswamis are not jointly submitting this intimation</p> <p>(a) Letter of authorization signed by all bhumiswamis authorizing the applicant bhumiswami to intimate the SDO</p> <p>(b) If only certain bhumiswami shares are being diverted declaration regarding the shares of the co-owner(s) in the land being diverted</p>	<p>(a) .....</p> <p>.....</p> <p>(b) .....</p> <p>.....</p>
6.	Name of Bhumiswami (s)	
7.	<p>(i) Father/Husband/Guardian's Name (if bhumiswami is an individual)</p> <p>(ii) Registration No/PAN no in case of a <i>Juristic person</i>.</p>	<p>(i) .....</p> <p>(ii) .....</p>
8.	<p>(a) Address</p> <p>(b) Telephone Number</p> <p>(a) Land Line (office)</p> <p>(b) Land Line (residence)</p> <p>(c) Mobile number</p> <p>(c) Email ID</p> <p>(d) Document for proof of Identification</p> <p>(e) Document for proof of address</p>	<p>(a) .....</p> <p>.....</p> <p>(b) .....</p> <p>.....</p> <p>(c) .....</p> <p>(d) .....</p> <p>(e) .....</p>
9.	<p><b>Details of land</b></p> <p>(a) District</p> <p>(b) Tahsil</p> <p>(c) Village/Urban local body</p> <p>(d) Patwari Halka No/Sector No.</p>	<p>(a) .....</p> <p>(b) .....</p> <p>(c) .....</p> <p>(d) .....</p>



Survey Number	Current status		Diverted Status		Amount to be deposited for diversion of land (Rs)				
	Pre-diverted purpose	Area (in Sq. mt.)	Diverted purpose	Area (Sq. mt.)	Premium per sq.mt. (in Rs.)	Total premium (in Rs.) (5x6)	land revenue per Sq. mt./yr. (in Rs.)	Total land revenue (in Rs.) (5x8)	Total Amount to be Paid (in Rs.) (7+9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Grand Total									
10.	Total amount to be deposited (in words).....								
11.	<b>Details of payment made</b> (a) Challan identification number (b) Name of payee (c) Date of payment (d) Head in which payment made (e) Total amount deposited (in figure and words)					(a) ..... (b) ..... (c) ..... (d) ..... (e) .....			
12.	Copy of diversion sketch to scale with land diverted for different purposes marked separately					Submitted/Not submitted			

Signature of applicant

Place.....

Name \_\_\_\_\_

Date.....

**DECLARATION**

1. I, ..... S/o.....hereby declare that the details submitted by me in this intimation are true to the best of my knowledge.
2. I am satisfied that the land use for which I have diverted land is in compliance with the provisions of section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 and the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Rajasva Ka Nirdharan Tatha Punarnirdharan) Niyam, 2018 .
3. I also declare that the intimation of diversion of land is not in contravention of any law for the time being in force governing the use of such land or sub-section (6-ee) and sub-section (7-b) of section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.
4. I have calculated and deposited the premium as per Schedule-I and the land revenue as per Schedule-II of the said rules and understand that the amount shall not be refunded except under circumstances described under section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959.
5. I also agree to deposit any amount computed over and above what I have paid by the Sub-Divisional Officer as per section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code,1959, in case it is found that the premium and/or land revenue calculated and deposited by me is less than the amount as prescribed under the rules.
6. I also understand that in case of any incorrect details submitted by me in this intimation regarding purpose of land use and area of land diverted or additional diversion of land use or area of diverted land without prior intimation shall lead to action under section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code,1959, which may include levy of penalty, premium and land revenue as computed and determined by the Sub Divisional Officer.

Signature of applicant

Name \_\_\_\_\_

Place.....

Date.....

**Mandatory Enclosures-**

- (1) Copy of document for proof of identity
- (2) Copy of document for proof of address

- (3) Copy of khasra of current year
- (4) Diversion sketch
- (5) Copy of Receipt of payment of premium and re-assessed land revenue
- (6) In case of juristic person, the letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person.

- Note:-
- (1) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.
  - (2) Urban Local Body means Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Parishad as categorised in Schedule A, as the case may be.
  - (3) Purposes of land use shall be (a) agricultural purpose, (b) purpose for dwelling houses, (c) educational purpose, (d) commercial purpose, (e) industrial purpose (including of mines and minerals), (f) charitable purpose, (g) other purpose only.

## PART -II

### Acknowledgement

To,

Shri/Smt./Ku.....

Son/Daughter of.....

Res.of.....

The intimation of diversion of land given in Part -I above is hereby acknowledged.

2. This acknowledgement together with the receipt of the deposit of amount as per item number 11 in Form-I above shall be the proof of diversion of the land.

3. Notwithstanding this acknowledgement, the Bhumiswami shall be liable for compliance of all provisions of section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (Act 20 of 1959) and The Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Rajasva Ka Nirdharan Tatha Punarnirdharan) Niyam, 2018 made there under.

Place:

Dated:

Seal

(Name.....)

Sub-Divisional Officer .....

District.....

**FORM-II**  
[see rule 16]  
**Report of Diversion of Land**

To

Sub-Divisional Officer

.....

Tahsil.....Distt.....

1. It has come to notice that the below mentioned land has been diverted on the spot but the Bhumiswami of the land, –

(a) has not given intimation of diversion under rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu- Rajaswa ka Nirdharan Tatha Pnamnirdharan) Niyam, 2018.

(b) has given incorrect intimation of diversion.

(c) has given intimation but has not received the communication from the Sub-Divisional Officer under rule 12 so far.

(d) has received communication under rule 12 but has not deposited the difference amount under sub-rule (1) of rule 13 so far.

(e) has deposited the difference amount under sub Rule (1) of Rule 13 or is not required to deposit any amount but the order for updating land records has not been issued under rule 16 so far.

(please See Note 1 below)

2. Particulars of the diverted land, premium and re-assessed land revenue are given below, namely:-

For land situated in non urban area	For land situated in urban area
Patwari Halka Number .....	Name of urban area .....
Name of village .....	Sector Number .....
Tahsil..... District .....	Tahsil..... District .....

S. No.	Particulars	As intimated by the Bhumiswami under Rule 10 (See Note 2 below)	As found on the spot
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Survey Number / Block Number / Plot Number (See Note 3 below)		
2.	Total area (in sq.m.)		
3.	Purpose for which the land is currently assessed (See Note 4 below)		
4.	Diverted area (in sq. m.)		
5.	Purpose for which the diverted land is being used (See Note 4 below)		
6.	Rate applicable for premium as per sub-rule (1) and (2) of rule 7		
7.	Amount of premium payable		
8.	Rate applicable for re-assessed land revenue as per sub-rule (1) and (3) of rule 4		
9.	Amount of re-assessed land revenue per annum payable		

3. The particulars of the Bhumiswami of the above lands are as follows, namely:-

Name .....	Father's/Husband's Name .....
Full Address .....	
.....	

4. Whether the Bhumiswami has given intimation of diversion under rule 10 ? Yes / No

If yes, then fill in following the details

S. No.	Particulars	Details
(1)	Number and date of acknowledgement of intimation given by the Bhumiswami under rule 10	..... .....
(2)	Amount deposited against premium and land revenue	
(3)	Whether communication issued by the Sub-Divisional Officer under Rule 12? If yes, give the Number and date thereof	Yes / No ..... .....

(4)	The difference of amounts, if any, required to be deposited by the Bhumiswami under sub-rule (1) of rule 13-  (a) Premium (b) Land Revenue (c) Total	..... ..... .....
(5)	Whether the Bhumiswami has deposited the amount mentioned in item (4) above?  If yes, then please give the date and number of the receipt of payment made.	Yes / No  ..... .....
(viii)	Whether the orders for updating land records have been issued under rule 16 ?	Yes / No

Signature of Patwari/Nagar

Sarvekshk

Place:.....

Name

.....

Dat:.....

Patwai Halka/Sector

No.....

Tahsil.....Distt.....

**Enclosures-**

(1) Copy of the Khasra

(2) Diversion sketch

**Notes-**

1. Please mark one of the options (a) to (e) as applicable.

2. Column (3) will be filled as per the written intimation given by the Bhumiswami under rule 10, if any.
3. In case the Survey Numbers /Block Numbers / Plot Numbers are too many, attach a separate sheet giving complete details.
4. Pick up the purpose from the list below:
  - (a) Agricultural purpose
  - (b) Purpose for dwelling houses
  - (c) Educational purpose
  - (d) Commercial purpose
  - (e) Industrial purpose (including of mines and minerals)
  - (f) Charitable purpose
  - (g) Other purpose

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.